भारत सरकार

वित्त मत्रांलय

आर्थिक कार्य विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. 278

(जिसका उत्तर सोमवार, 20 मार्च, 2023/29 फाल्गुन, 1944 (शक) को दिया जाना है)

विमुद्रीकरण तथा मुद्रा का संचलन

***278. श्री संतोष कुमार:**

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ आंकड़ों के अनुसार विमुद्रीकरण के बाद जारी किए गए 500 और 2000 रुपये मूल्यवर्ग के लगभग 9.21 लाख करोड़ रुपये मूल्य के मुद्रा नोट प्रचलन से बाहर हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उक्त मुद्रा नोट फिर से कथित रूप से काले धन में बदल गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बैंकों पर एटीएम के माध्यम से 2000 रुपये मूल्यवर्ग के मुद्रा नोटों का संवितरण करने पर प्रतिबंध लगा दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) भारतीय रिजर्व बैंक ने कब से 2000 रुपये मूल्यवर्ग के मुद्रा नोटों की छपाई बंद कर दी है?

उत्तर

वित्त मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारामन)

(क) से (ङ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

विमुद्रीकरण तथा मुद्रा का संचलन के संबंध में श्री संतोष कुमार, माननीय संसद सदस्य द्वारा पूछे गए दिनांक 20 मार्च, 2023 को उत्तरार्थ लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *278 के उत्तर में उल्लिखित विवरणः

(क) से (ग): ऐसी कोई जानकारी या आंकड़े उपलब्ध नहीं है। भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, मार्च 2017 और मार्च 2022 के अंत तक ₹500 और ₹2000 मूल्यवर्ग के संचलित बैंकनोटों का कुल मूल्य क्रमशः ₹9.512 लाख करोड़ और ₹27.057 लाख करोड़ था।

(घ): ऑटोमेटेड टेलर मशीन (एटीएम) में ₹2000 के नोट नहीं भरने का बैंकों को कोई निर्देश नहीं दिया गया है। बैंक पिछले उपयोग, उपभोक्ता की आवश्यकता, समय-विशेष की प्रवृत्ति आदि के आधार पर एटीएम के लिए राशि और मूल्यवर्ग की आवश्यकता का अपना आकलन स्वयं करते हैं।

(ङ): आरबीआई की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2019-20 के बाद से ₹ 2000 मूल्यवर्ग के बैंक नोटों की आपूर्ति की मांग नहीं की गई है।

*****